मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2016 (फाल्गुन 21, शक सम्वत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 10:33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 16 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 एवं 25) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये (द्वितीय चक्र सहित) तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 156 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 161 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल के गुनगा थानांतर्गत हाउस निर्माण में अनियमितता होने,
(2) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) , सदस्य की इन्दौर शहर में प्रेशरहार्न से दुर्घटनाएं घटित होने,
(3) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की इन्दौर उज्जैन संभाग में हाई स्कूलों के उन्नयन के बाद भी वित्तीय अधिकार न दिये जाने से उत्पन्न समस्या होने,
(4) श्रीमती सरस्वती सिंह, सदस्य की चितरंगी मुख्यालय में सुलभ काम्पलेक्स का निर्माण कराये जाने,
(5) श्री घनश्याम पिरोनिया, सदस्य की भाण्डेर में निर्माणाधीन मुक्तिधाम में अनियमितता होने,
(6) श्री आर.डी. प्रजापति, सदस्य की छतरपुर जिले के बरियापुर नहर के नालियों के निर्माण में अनियमितता होने,
(7) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य की जावरा शहर में रेल्वे ओव्हर ब्रिज का कार्य प्रारम्भ न होने,
(8) श्री गिरीश भण्डारी, सदस्य की राजगढ़ के थाना सारंगपुर द्वारा फर्जी प्रकरण बनाये जाने,
(9) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य की इछावर के भाउखेड़ी मार्ग की जर्जर हालत होने,
(10) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की अस्थि रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय रायसेन को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जाने,
(11) श्री अरूण भीमावद, सदस्य की शाजापुर में घुमक्कड़ व अर्द्धघुमक्कड़ समाज के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित होने,
(12) श्री दिनेश राय, सदस्य की सिवनी के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के आवास तोड़े जाने,
(13) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले में स्नातकोत्तर विद्यालय खोले जाने,
(14) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य की प्रदेश के स्कूलों में बनाये गए शौचालयों में पानी की व्यवस्था न होने,
(15) श्री मुकेश नायक, सदस्य की बुन्देलखण्ड के गांवो में पेयजल संकट होने,
(16) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य की नीमच के ग्राम उमाहेड़ा से गुलाबखेड़ी मार्ग जर्जर होने,
(17) श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य की राजगढ़ के ग्राम माधौपुरा से सुठालिया नाले पर पुलिया निर्माण न होने,
(18) श्री के.के. श्रीवास्तव, सदस्य की टीकमगढ़ के ग्रामों में स्थित सूर्य मंदिरों का जीर्ण शीर्ण होने,
(19) श्री संजय उइके, सदस्य की बैहर क्षेत्र में महाविद्यालय खोले जाने,
(20) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल, सदस्य की कुक्षी के ग्राम सिलकुआ में पेयजल संकट होने,
(21) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य की देवास के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट होने,
(22) श्री कमल मर्सकोले, सदस्य की बालाघाट जिले में आदिवासियों के विकास के लिये भेजी गई राशि में फर्जीवाड़ा होने,
(23) श्री विजय सिंह राजपूत, सदस्य की सोहागपुर के ग्रामीण ऐरिये में ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसल का मुआवजा दिये जाने,
(24) श्री प्रहलाद भारती, सदस्य की पोहरी क्षेत्र के ग्राम पचीपुरा बैराढ पर विद्युत उपकरण स्थापना की जाने,
(25) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य की बड़वाह स्थित मर्दाना महेश्वर परियोजना के डूब प्रभावितों की राशि का व्यय न किये जाने,
(26) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बी.पी.एल. कार्डधारकों को गुणवत्ताहीन नमक का वितरण होने,
(27) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की महिदपुर के ग्रामों में बिगड़े हुए हैण्डपंपों की मरम्मत किये जाने,
(28) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य की मरैना की ग्राम पंचायत बागचीनी स्थित विद्यालय का पुन: निर्माण किये जाने,
(29) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य की तिलहन संघ के संविलियन कर्मचारियों को वेतन निर्धारण न किये जाने,
(30) श्री अनिल जैन, सदस्य की निवाड़ी एवं तरीचरकला में खोदी गई सड़कों को ठीन न किये जाने,
(31) श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य की विदिशा जिले के ग्राम सिरनोटा करौदाखुर्द के मध्य नालें पर बना पुल क्षतिग्रस्त होने,
(32) श्री कुंवर सिंह टेकाम, सदस्य की सिंगरौली जिले के ग्राम निगरी से कछार सड़क निर्माण में अनियमितता होने,
(33) श्री कालूसिंह ठाकुर, सदस्य की धरमपुरी से भाण्डव सड़क मार्ग की जर्जर हालत होने,

(34) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा, सदस्य की सोनकच्छ के ग्राम गढ़खजुरिया में निर्मित तालाब जीर्ण शीर्ण होने,
(35) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य की मुरैना के कैलारस की खदानों से प्रदूषण होने,
(36) श्री जितू पटवारी, सदस्य की प्रदेश में रेत माफिया का आतंक होने,
(37) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की रतलाम, मंदसौर व नीमच में किसानों की भूमि पर पवन चक्की लगाये जाने,
(38) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य की टीकमगढ़ के ग्राम मुहारा के मंदिर की भूमि पर कब्जा किये जाने,
(39) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की भोपाल के माता मंदिर क्षेत्र से अतिक्रमण न हटाये जाने,
(40) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य की रीवा जिले के गांव दनगन निवासी कृषक की प्याज की फसल नष्ट होने से आत्महत्या किये जाने,
(41) श्री वैलसिंह भूरिया, सदस्य की धार जिले के राजौरा से रानीखेड़ा तक सड़क किनारे पानी निकासी हेतु नालियों का निर्माण किये जाने,
(42) श्री ठाकुरदास नागवंशी, सदस्य की पिपरिया विधानसभा क्षेत्र में हैण्डपंपों से पानी न आने,
(43) श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य की पाटन एवं मझोली में वर्तमान में हुई ओलावृष्टि से नष्ट फसलों का मुआवजा दिये जाने,
(44) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य की जबलपुर के काइस्टचर्च स्कूल के विद्यार्थी द्वारा आत्महत्या किये जाने,
(45) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया, सदस्य की भोपाल निवासी एच.डी.एफ.सी. बैंक विदिशा शाखा में पदस्थ कर्मचारी की हत्या होने तथा
(46) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य की प्रदेश में बोर्ड की परीक्षा हेतु प्रायवेट विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने,

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

3. शून्यकाल में उल्लेख

(1) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य द्वारा दी गई विशेषाधिकार हनन की विचाराधीन सूचना पर कार्यवाही के पूर्व अखबार में वक्तव्य दिया जाना

श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य द्वारा शून्यकाल में उनकी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर आसंदी का ध्यान आकर्षित करने पर, अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि वह अभी विचाराधीन है. इसी संदर्भ में डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री द्वारा जानना चाहा कि विशेषाधिकार की सूचना पर माननीय अध्यक्ष द्वारा कार्यवाही एवं सदन में चर्चा के पूर्व अखबारों में वक्तव्य देना क्या उचित है ? क्या यह सदन की अवमानना नहीं है ? इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया - उन्होंने सूचना दी है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है.

(2) सारंगपुर में एक छात्र गायब होने संबंधी एक विधायक द्वारा असत्य आरोप लगाया जाना

श्री कुंवर सिंह कोठार, सदस्य द्वारा शून्यकाल में यह उल्लेख किया कि – दिनांक 8.3.2016 को शून्यकाल में एक छात्र गायब होने का आरोप विपक्षी पार्टी के सदस्य (नरसिंहगढ़ विधायक) द्वारा लगाया गया, जो कि असत्य एवं निराधार है, कल लड़का बरामद हुआ है, वह उन्हीं की पार्टी द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा गायब किया गया था. ऐसे असत्य आरोप इस पवित्र सदन में लगाने वाले के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, गृह मंत्री जी से निवेदन है कि इसमें जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी लिप्त हैं, उनके विरूद्ध जांच करके कार्यवाही हो. इसकी सदन में निंदा होनी चाहिए. इसी संदर्भ में,

श्री गिरीश भंडारी, सदस्य द्वारा शून्यकाल में यह उल्लेख किया कि – उस छात्र ने 2 मार्च को अपनी परीक्षा नहीं दी, विधायक के दबाव में उस लड़के के खिलाफ 151 की कार्यवाही की, वह लड़का परीक्षा नहीं दे पाया, वह चार दिन में मिला है, मैं इस आरोप पर कायम हूं.

(3) प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने के संबंध में सरकार से उत्तर देने की मांग करना

(3) श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष द्वारा शून्यकाल में यह उल्लेख किया कि – आज पूरे प्रदेश में 5 लाख से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिनमें पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भी हैं. पूरा शासकीय कार्य ठप्प पड़ा है सरकार की ओर से इस पर जवाब आना चाहिए. उनकी मांगें सुनी जायें.

4. बहिर्गमन

(श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा कर्मचारी विरोधी सरकार की बात कहते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया.)

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने मध्यप्रदेश पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का तैंतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा, वर्ष 2013-14 पटल पर रखा.

6. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से आज की कार्यसूची में उल्लेखित 10 ध्यानाकर्षण सूचनाओं में से प्रथम 2 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को नियम 138 (3) को शिथिल कर लिए जाने सम्बन्धी घोषणा की गई. तद्नुसार -

(1) श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य ने विदिशा जिले के मजराटोलों को राजस्व ग्राम घोषित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.
श्री रामपाल सिंह, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.
(2) श्री लखन पटेल, सदस्य ने दमोह जिले के ग्राम सूखा में स्थित ट्यूबवेल से जहरीली गैस के ब्लास्ट से महिला की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.
श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, कार्यसूची के पद 3 के उप पद (3) से (10) तक के सदस्यगण की निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए –

(3) श्रीमती अर्चना चिटनिस, सदस्य की बुरहानपुर जिले में मौसम यंत्र न लगाये जाने संबंधी सूचना तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का वक्तव्य.
(4) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले में नहर की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.
(5) डॉ.गोविन्द सिंह, सदस्य की प्रदेश में अमानक कृमिनाशक दवा पीने से अनेक बच्चे बीमार होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य.
(6) श्रीमती सरस्वती सिंह, सदस्य की सिंगरौली जिले के ग्राम झलरी में भूमि का गलत नामान्तरण किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.
(7) श्री गिरीश भण्डारी, सदस्य की राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ क्षेत्र में सूखा राहत राशि वितरण में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.
(8) श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य की नागदा शहर में प्रदूषित पेयजल का प्रदाय किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य.
(9) डॉ.गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के ग्राम पंचायत उदोतपुरा में शौचालय निर्माण में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य.
(10) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की उज्जैन जिले के ग्राम रूपेटा से कृषक का ट्रेक्टर चोरी किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर)
(2) कुँवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(3) श्री मुकेश नायक (जिला-पन्ना)
(4) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा (जिला-अशोक नगर)
(5) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(6) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(7) श्री सचिन यादव (जिला-खरगोन)
(8) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(9) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)
(10) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(11) श्री नीलेश अवस्थी (जिला-जबलपुर)
(12) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीचम)
(13) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(14) श्री अरूण भीमावद (जिला-शाजापुर)
(15) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(16) श्री अशोक रोहाणी (जिला-जबलपुर)
(17) श्री वीर सिंह पंवार (जिला-विदिशा)
(18) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)

(19) श्री आर.डी. प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(20) श्री गोवर्धन उपाध्याय (जिला-विदिशा)
(21) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
(22) डॉ. राम किशोर दोगने (जिला-हरदा)
(23) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(24) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(25) श्री लाखन सिंह यादव (जिला-ग्वालियर)
(26) श्री प्रहलाद भारती (जिला-शिवपुरी)
(27) श्री प्रताप सिंह (जिला-दमोह)
(28) श्री सुन्दरलाल तिवारी(जिला-रीवा)
(29) पं. रमाकान्त तिवारी(जिला-रीवा)
(30) श्री कैलाश चावला (जिला-नीमच)
(31) श्री विजय सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(32) श्री आरिफ अकील (जिला-भोपाल शहर)
(33) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतरपुर)
(34) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया (जिला-मन्दसौर)
(35) श्री चम्पालाल देवड़ा (जिला-देवास)
(36) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)
(37) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(38) श्री केदारनाथ शुक्ल (जिला-सीधी)
(39) श्री आशीष गोविन्द शर्मा (जिला-देवास)
(40) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)
(41) श्री घनश्याम पिरौनियां (जिला-दतिया)
(42) श्री राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(43) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल (जिला-धार)
(44) श्रीमती ललिता यादव (जिला-छतरपुर शहर)

8. वर्ष 2015-16 के चतुर्थ अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने वर्ष 2015-2016 के चतुर्थ अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मैं इस चतुर्थ अनुपूरक अनुमान पर चर्चा और मतदान के लिये दिनांक 14 मार्च, 2016 को 2 घण्टे का समय नियत करता हूं.

9. मंत्री का वक्तव्य

श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 को पूछे तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 2268) के उत्तर के परिशिष्ट में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया.

10. वर्ष 2016-17 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

(9) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 44	उच्च शिक्षा के लिए दो हजार तीन सौ तीस करोड़, इक्यानवे लाख, बानवे हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए छः सौ इकसठ करोड़, इक्कीस लाख, नब्बे हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या – 70	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए चार करोड़, इक्यासी लाख, पचपन हजार रूपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) सुश्री हिना लिखीराम कांवरे
(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(3) श्री मुकेश नायक
(4) श्री रामेश्वर शर्मा

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(5) श्री जितू पटवारी

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्यों के लिये भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

(6) श्री दुर्गालाल विजय
(7) श्री शैलेन्द्र पटेल
(8) डॉ. कैलाश जाटव
(9) डॉ. रामकिशोर दोगने
(10) श्री वीर सिंह पंवार
(11) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार
(12) श्री कमलेश्वर पटेल

सभापति महोदय (श्री ओमप्रकाश सखलेचा) पीठासीन हुए.

(13) श्री के.के. श्रीवास्तव
(14) श्रीमती शीला त्यागी
(15) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी)
(16) श्री वेलसिंह भूरिया
(17) श्रीमती झूमा सोलंकी
(18) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर
(19) श्री भारत सिंह कुशवाह

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(20) श्रीमती सरस्वती सिंह
(21) श्री अनिल फिरोजिया
(22) श्री दिनेश राय
(23) कुंवर विक्रम सिंह
(24) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक
(25) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(26) श्री प्रताप सिंह
(27) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(28) श्री नारायण सिंह पंवार
(29) कुंवर सौरभ सिंह
(30) श्री महेन्द्र सिंह बागरी
(31) श्रीमती ऊषा चौधरी
(32) श्रीमती ममता मीना
(33) श्री दिलीप सिंह परिहार
(34) श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष

श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(10) कुंवर विजय शाह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक हजार दो सौ छियालीस करोड़, चौंतीस लाख, इकहत्तर हजार रुपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांग और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री कमलेश्वर पटेल
(2) श्री जसवंत सिंह हाड़ा

11. गणपूर्ति के अभाव में कार्यवाही स्थगित किया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही 4.24 बजे 5 मिनट के लिये स्थगित की जाकर 4.31 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

12. अध्यक्षीय घोषणा

अशासकीय कार्य सम्पादन विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि – "विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-23 के अनुसार शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घण्टे गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के सम्पादन के लिए नियत हैं तथा सदन की बैठक सायं 7 बजे तक होने से आज अपराह्न 4.30 बजे से अशासकीय कार्य लिया जाना है, परन्तु आज कार्यसूची के पद 7 (3) में उल्लेकित कार्य पूर्ण होने के उपरांत अशासकीय कार्य लिया जायेगा".

13. वर्ष 2016-17 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(3) कुंवर सौरभ सिंह
(4) श्री वेलसिंह भूरिया

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(5) सुश्री हिना लिखीराम कांवरे
(6) श्री के.के. श्रीवास्तव
(7) श्री सचिन यादव

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी घोषणा की गई कि माननीय सदस्यों के लिये सदन की लॉबी में स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करने का कष्ट करें.

(8) श्री वीर सिंह पंवार
(9) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
(10) डॉ. योगेन्द्र निर्मल

कुंवर विजय शाह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

14. अशासकीय संकल्प

(1) श्रीमती रंजना बघेल, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि मध्यप्रदेश की जन जाति का उत्सव जो कि वर्तमान में "भगोरिया" उत्सव के नाम से जाना जाता है, को संशोधित कर "भंगर्या" के नाम से जाना जाये तथा शब्द "प्रणय पर्व" को विलोपित कर संबंधित शासकीय अभिलेखों को संशोधित किया जाये.".

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्रीमती रंजना बघेल
(2) श्री वेलसिंह भूरिया
(3) श्रीमती झूमा सोलंकी
(4) श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष

श्री ज्ञान सिंह, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

संकल्प वापस हुआ.

15. अध्यक्षीय घोषणा
अशासकीय संकल्प अगले शुक्रवार को लेने विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 8 के उपपद 2 में उल्लेखित अशासकीय संकल्प के प्रस्तावक सदस्य श्री विश्वास सारंग ने उक्त संकल्प आगामी शुक्रवार को लेने का अनुरोध किया है अत: यह संकल्प आगामी शुक्रवार को लिया जायेगा.

16. अशासकीय संकल्प (क्रमश:)

(2) श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"सदन का यह मत है कि प्रदेश के सभी निजी कालेजों की समुचित व्यवस्था के लिये प्रत्येक कालेज में जनभागीदारी समिति का गठन किया जाये, जिसमें विधायक या विधायक प्रतिनिधि सदस्य रहे एवं उसकी निश्चित समय पर बैठक भी हो.".

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री रामेश्वर शर्मा
(2) श्री गिरीश गौतम
(3) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
(4) श्री कमलेश्वर पटेल
(5) श्री जसवंत सिंह हाड़ा
(6) श्री सचिन यादव

17. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि अशासकीय संकल्प एवं औपचारिक कार्यवाही पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाये. सदन द्वारा सहमति व्यक्त की गई.

18. अशासकीय संकल्प (क्रमश:)

श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

संकल्प वापस हुआ.

19. समिति का गठन

छात्रों द्वारा मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या संबंधी समस्या के निदान सुझाने हेतु समिति का गठन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि दिनांक 4 मार्च, 2016 को प्रदेश के कई स्थानों पर छात्रों द्वारा मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या किये जाने संबंधी ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा के दौरान सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किये गये अनुरोध एवं सदन द्वारा व्यक्त की गई सहमति के परिप्रेक्ष्य में इस समस्या पर विचार कर निदान सुझाने हेतु एक समिति का गठन किया जाना है. अत: एतद् द्वारा निम्नांकित सदस्यों की समिति गठित की जाती है :-

(1) श्रीमती अर्चना चिटनिस
(2) श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष
(3) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(4) श्री रामनिवास रावत
(5) श्री केदारनाथ शुक्ल
(6) श्री मुकेश नायक
(7) श्री विश्वास सारंग
(8) श्री शैलेन्द्र जैन
(9) श्री ठाकुरदास नागवंशी
(10) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक
(11) श्रीमती शीला त्यागी

श्रीमती अर्चना चिटनिस, माननीय सदस्य समिति की सभापति होंगी तथा माननीय श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री एवं माननीय श्री दीपक कैलाश जोशी, राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा इस समिति के पदेन सदस्य तथा प्रमुख सचिव, विधान सभा समिति के पदेन सचिव होंगे.

20. अध्यक्षीय घोषणा
सदन की बैठकों के समय में परिवर्तन विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की कि - “मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों में नियम समिति द्वारा किए गए संशोधन नियमावली के नियम 231 के उप नियम (4) की अपेक्षानुसार प्रख्यापित होने के पश्चात् उप नियम (5) के तहत दिनांक 10 मार्च, 2016 से प्रभावशील हो गए हैं. तदनुसार नियमावली के संशोधित नियम 12 के अनुसरण में विधान सभा की आगामी बैठकें पूर्वाह्न 11 बजे से होंगी और अपराह्न 5.30 बजे समाप्त होंगी”.

अपराह्न 7.03 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2016 (24 फाल्गुन, शक सम्वत् 1937) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 11 मार्च, 2016